उदयलाल तेली बनाम सरकार
10/2022
निर्णय दिनांक : 23.05.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 10/2022 दर्ज तिथि :– 19.01.2022

श्री उदयलाल पिता भेरूलाल तेली आयु 61 वर्ष निवासी आदर्श कॉलोनी नगरपालिका कर्मचारी कॉलोनी, निम्बाहेड़ा तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती किरण जोशी पत्नि कमलेश जोशी आयु 50 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा तहसील, निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ़

..................अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री अनुराग ओझा
अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथि :– 23.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या–10 वाके ग्राम बोराखेडी, पटवार हल्का, बडोली माधोसिंह तहसील, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
10	उदयलाल पिता भेरूलाल 102/127 तेली सा. निम्बाहेडा किरण जोशी पत्नि कमलेश कुमार 25/127 जोशी सा. निम्बाहेडा	621	1.27 हैक्टेयर
	योग		1.27

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:02 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि प्रार्थी की उक्त नवीन आराजी नम्बर 621 रकबा 1.27 हैक्टेयर भूमि साबिक आराजी नम्बर 789/372 से बना होकर नवीन सेटलमेन्ट में आराजी नम्बर 621 का नक्शा गलत दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 की खातेदारी नवीन आराजी नम्बर 621 का नक्शा साबिक आराजी नम्बर 789/372 के अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की नवीन आराजी नम्बर 621 रकबा 1.27 हैक्टेयर भूमि का नक्शा साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम करने का निवेदन किया गया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की नवीन आराजी की तरमीम दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

4. इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मौजा बोराखेडी की आराजी नम्बर 621 रकबा 1.27 हैक्टेयर भूमि खातेदार श्री उदयलाल पिता भेरूलाल 102/127 तेली सा. निम्बाहेडा किरण जोशी पत्नि कमलेश कुमार 25/127 जोशी सा. निम्बाहेडा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। आराजी नम्बर 1145/621 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि खातेदार रवि पिता नन्दकिशोर के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी नम्बर 621 रकबा 1.27 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1145/621 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि साबिक आराजी नम्बर 789/372 रकबा 6 बीघा से बनी है। साबिक आराजी नम्बर 789/372 रकबा 6 बीघा भूमि श्री भेरूलाल पिता लाला तेली सा. निम्बाहेड़ा को आवंटित होकर दिनांक 28.01.1986 को दर्ज रिकार्ड हुई थी। उसके पश्चात खातेदारी और विरासत से उक्त आराजी श्री उदयलाल पिता भेरूलाल तेली सा. निम्बाहेडा के नाम से दर्ज रिकार्ड हुई। सेटलमेन्ट पश्चात नवीन आराजी नम्बर 621 रकबा 1.52 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड हुई उसमें से श्री उदयलाल तेली के द्वारा 0.25 हैक्टेयर भूमि श्री रवि पिता नन्दकिशोर औझा सा.निम्बाहेडा को विक्रय की जिसका नवीन आराजी नम्बर 1145/621 रकबा 0.25 हैक्टेयर बना। साबिक आराजी नम्बर 789/372 रकबा 6 बीघा का तहसील अभिलेखागार में उपलब्ध साबिक राजस्व नक्शा देखने पर इसी आराजी संख्या का भाग फटा हुआ होकर नक्शा जीर्ण शीर्ण हालत में पाया गया। प्रार्थी के द्वारा उपलब्ध करवाया गया साबिक नक्शा जो कि साबिक नामान्तरण संख्या 397 पर चस्पा था उपलब्ध करवाया गया उसके अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज नहीं है और साबिक नक्शा का रकबा बरारी अर्थात नक्शे के क्षेत्रफल का माप करने पर पूर्ण 6 बीघा नहीं होकर कम पाया गया। प्रार्थी वर्तमान राजस्व नक्शा अनुसार ही मौके पर काबिज होकर आराजी के चारों ओर दीवार बनाकर काबिज है। वर्तमान राजस्व नक्शे के आराजी नम्बर 621 रकबा 1.27 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1145/621 रकबा 0.25 हैक्टेयर दोनों आराजियात की रकबा बरारी कर क्षेत्रफल ज्ञात करने पर रकबा 1.52 हैक्टेयर (6 बीघा) पाया गया। प्रार्थी श्री उदयलाल पिता भेरूलाल तेली निवासी निम्बाहेडा अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 621 रकबा 1.27 हैक्टेयर में वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार ही मौके पर काबिज है। इसलिए प्रार्थी का नक्शा शुद्धि का धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। जांच रिपोर्ट के अन्त में प्रकरण को निरस्त करने की अनुशंषा की गई है।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि निम्न प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:02 IST
Reason: SelfAttested

***136. Correction of errors.** - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी की साबिक आराजी नम्बर 789/372 रकबा 6 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 621 रकबा 1.52 हैक्टेयर बने। उसमें से प्रार्थी ने 0.25 हैक्टेयर भूमि श्री रवि पिता नन्दकिशोर औझा को विक्रय कर दी जिसके नवीन आराजी नम्बर 1145/621 बने। प्रार्थी अपनी खातेदारी की वर्तमान आराजी नम्बर 621 के राजस्व नक्शा अनुसार ही मौके पर काबिज होकर आराजी के चारों ओर दीवार बना रखी है। वर्तमान राजस्व नक्शे के आराजी नम्बर 621 रकबा 1.27 हैक्टेयर एवं प्रार्थी द्वारा विक्रय की गई आराजी नम्बर 1145/621 रकबा 0.25 हैक्टेयर दोनों आराजियात की रकबा बरारी कर क्षेत्रफल ज्ञात करने पर रकबा 1.52 हैक्टेयर (6 बीघा) पाया गया। प्रार्थी श्री उदयलाल पिता भेरूलाल तेली निवासी निम्बाहेड़ा अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 621 रकबा 1.27 हैक्टेयर में वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार ही मौके पर काबिज है। चूंकि प्रार्थी वर्तमान आराजी नम्बर 621 रकबा 1.27 हैक्टेयर के नवीन राजस्व नक्शे अनुसार ही मौके पर काबिज होकर नक्शे का क्षेत्रफल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार 1.27 हैक्टेयर ही होकर सही पाया गया है, अतः प्रार्थी की खातेदारी आराजी में किसी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश है कि</u>

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 प्रार्थी की आराजी नम्बर 621 रकबा 1.27 हैक्टेयर के नक्शे की रकबा बरारी कर क्षेत्रफल ज्ञात करने पर रकबा 1.27 हैक्टेयर ही आने के कारण [illegible] की आवश्यकता नहीं होने से खारीज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 23.05.2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प स्थल ग्राम पंचायत, बडोली माधोसिंह में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

23/5/23

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा